सत्यमेव जयते

खंड ९ संख्या ४१

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि ९ अप्रील, १९५६

Vol. IX No. 41

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Monday, the 9th April, 1956.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६

[मूल्य—६ आना।]
[*Price—Annas 6.*]

स्थगन प्रस्ताव।

Adjournment Motions.

अध्यक्ष—श्री राम सेवक शरण का स्थगन प्रस्ताव आपलोगों को मिल चुका है।

*डा० अनुग्रह नारायण सिंह—कचहरी में मामला पेश हो गया है।

अध्यक्ष—श्री रामसेवक शरण का जो प्रस्ताव है उसको मैं नामंजूर करता हूं क्योंकि यह मामला कचहरी में है।

*श्री रामसेवक शरण—कचहरी में गया है लेकिन कुछ होना चाहिये।

अध्यक्ष—कुछ होने का जो रास्ता है उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूं। कचहरी भी एक रास्ता है और कचहरी में चूंकि यह मामला चला गया है इसलिये इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री कृष्णगोपाल दास का है। यह तो बिलकुल ही अनिश्चित है। आपने जो सूचना दी है उसमें आपने लिखा है :

"That the House do adjourn in order to discuss a definite matter of urgent public importance namely, "Police excesses committed at Chakri, P.-S. Jamtara....."

लेकिन आपने इस चीज को नहीं लिखा है कि पुलिस की ज्यादती क्या हुई है इसलिए मैं इसे नामजूर करता हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव श्री कर्पूरी ठाकुर का है। मुक्तापुर जूट मिल्स के संबंध में मुकदमा सरकार के पास पेश है और उसी बीच में जूट मिल को बन्द कर दिया गया है इसके बारे में मैं सरकार से कुछ जानना चाहता हूं।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—तीन चार महीने से डिस्प्यूट चल रहा है। कुछ प्वायन्ट्स पर कंसीलियेशन अफसर ने विचार किया है और कुछ प्वायन्ट्स बाकी हैं। इसलिये इस मोशन को लाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं।

अध्यक्ष—इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं है।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—अभी तो कन्सीलिएशन अफसर के सामने बात है और गवर्नमेन्ट इसमें इन्टरफीयर नहीं कर सकती है।

अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक कन्सीलिएशन के दौरान में डिसप्यूट है तब तक मिल को बन्द करना जायज है या नाजायज है?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—कन्सीलिएशन अफसर का काम है कि वह दोनों पार्टियों में सुलह कराने की कोशिश करे और अगर वह ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर सरकार ऐसे मामलों को देखती है और जो चाहती है देख कर करती है।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—जो-जो प्वायन्ट्स मजदूरों की तरफ से दिये गये हैं उसके लिये कंसीलिएशन की मांग मजदूरों ने पिछले चार महीने से कर रखा है और इस संबंध में श्रम मंत्री, उप-श्रममंत्री को जूट मिल के वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी, और खुद मैंने सारी बातें कही हैं और अन्त में मामला कन्सीलिएशन में दिया गया है। कल ही मुक्तापुर जूट मिल की ऑफिस में कन्सीलिएशन के समय असिस्टेन्ट कमिश्नर, लेबर सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा वर्कर्स की तरफ से रिप्रेजेन्टेटिव्ह हाजिर थे और इसी बीच में मिल मालिक ने लौक आउट कर दिया। जबतक कन्सीलिएशन अफसर यह सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि कन्सीलिएशन भंग हो गया तब तक न तो मैनेजमेन्ट को अधिकार है लौक आउट करने का और न वर्कर्स को यह अधिकार है कि वह स्ट्राइक करे ऐसा नियम में लिखा हुआ है, इसे अगर तोड़ा गया तो इल्लीगल हो जाता है। कन्सीलिएशन अफसर जो सरकार के आदमी हैं और उनकी रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई करती है तो हमारा कहना है कि सरकार के ऊपर यह निश्चित जवाबदेही आ जाती है कि जब कन्सीलिएशन अफसर अभी मामले की तजवीज कर रहे हैं, कन्सीलिएशन अभी भंग नहीं हुआ और मैनेजमेन्ट ने लौक आउट घोषित कर दिया तो उसको देखें। कन्सीलिएशन अभी भंग नहीं हुआ है ऐसा कन्सीलिएशन अफसर ने लिखा है। तो मिल के बन्द होने के कारण ढाई हजार मजदूर बेकार हो गये हैं, उनके जीवन मरण का यह सवाल हो गया है और ऐसा सीरियस मामला होने के कारण ही यह स्थगन प्रस्ताव लाना चाहता हूं।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—गवर्नमेन्ट के पास ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि लौक आउट हुआ है या स्ट्राइक हुआ है।

श्री कर्पूरी ठाकर—मैनेजमेन्ट की ओर से जो नोटिस निकाली गई है वह मेरे पास है और अगर आप चाहें तो मैं उसे पढ़ कर सुना दे सकता हूं।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—कन्सीलियेशन में अगर मामला अभी तजवीज की दशा में है और मैनेजमेन्ट लौक आउट कर देती है तो वह गैर-कानूनी हो जाता है और उसके बाद कानून के मुताबिक जो कार्रवाई उचित होगी की जाएगी।

अध्यक्ष—कार्रवाई की जाएगी इसका आश्वासन आप देते हैं?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—अगर गैर-कानूनी कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई की ही जाएगी।

अध्यक्ष—अगर कोई रिप्रेजेन्टेशन आपके पास न दे तो भी सूबो मोटो ऐक्शन अफसर ले सकते हैं?

डा० अनुग्रह नारायण सह—जी हां।

श्री कर्पूरी ठाकुर—लेकिन रिपोर्ट क्यों नहीं आयी, हम यह जानना चाहते हैं?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—क्यों का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—कारखाने में तालाबन्द हो गया है और माननीय मंत्री कहते हैं कि हमको खबर नहीं है। हम नान-ऑफिशियल आदमी हैं और हमको खबर हो गयी है लेकिन सरकार को खबर नहीं है। दो हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और उनके सामने डिस्ट्रेस उपस्थित हो गयी है। आप इसे भले ही एक मामूली बात मानें लेकिन मैं इसे एक बहुत भारी बात मानता हूं। और इसीलिए आपके सामने यह सवाल उठाया गया है कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें।

अध्यक्ष—आपकी बात मानकर ही तो उन्होंने कहा है कि जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है की जायेगी।

श्री रमेश झा—अध्यक्ष महोदय, यह कल का वाकया है और सरकार को इसकी जानकारी नहीं है यह दुखद बात है। सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

*श्री वीरचन्द्र पटेल—सरकार की जो एजेन्सी है उसके जरिये जब तक खबर नहीं आयेगी तब तक उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे।

अध्यक्ष—सरकार के आश्वासन के बाद इस स्थगन प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं रह जाती है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव :

Privilage Motion.

आलमनगर और किशुनगंज थानों के कुछ व्यक्तियों त । आर्यावर्त्त पत्र द्वारा एक माननीय सदस्य और सदन के विशेषाधिकार का हनन।

COMPLAINT OF BREACH OF PRIVILEGE OF AN HON'BLE MEMBER AND OF THE HOUSE BY SOME PERSONS OF THE ALAMNAGAR AND KISHUNGANJ POLICE-STATIONS AND THE "ARYAVATRA" A DAILY NEWSPAPER.

अध्यक्ष—विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव है। इसकी सूचना मिली है। इसकी सूचना श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह ने दी है। मैं उनको पुकारता हूं।